समानता

स्वतंत्रता के अलावा समानता भी एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक आदर्श है। उदार-लोकतांत्रिक चिंतनधारा के अन्तर्गत स्वतंत्रता के साथ-साथ समानता को भी एक राजनीतिक आदर्श के रूप में स्वीकार किया जाता है। उदारवादी जब व्यक्ति की अधिकतम स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो उनका तात्पर्य किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि **प्रत्येक** व्यक्ति की अधिकतम स्वतंत्रता से होता है। इस तरह, समता का विचार स्वतंत्रता में अन्तर्निहित है। लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था को स्वतंत्रता और समानता के लोकतांत्रिक आदर्शों के साथ जोड़ा जाता है। राजनीतिक समानता के अन्तर्गत कानूनी समानता का विचार भी शामिल है। सामाजिक लोकतंत्रवादियों द्वारा **सामाजिक** समता पर बल दिया जाता है।

समाजवादी चिन्तनधारा के अन्तर्गत समता, विशेष कर आर्थिक समता, को केन्द्रीय स्थान दिया जाता है। साम्यवादियों द्वारा तो उस समय आर्थिक समता के पक्ष में स्वतंत्रता को भी तिलांजलि दे दी जाती है, जब वे ''सर्वहारा की तानाशाही'' की वकालत करने लगते हैं। दूसरी ओर, लोकतांत्रिक समाजवादियों द्वारा स्वतंत्रता और समानता के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है।

''समान'' का एक अर्थ हैं ''एक जैसा'' (identical) होना (A = A)। इस अर्थ में "A" और "A" एक समान है। यह तो स्पष्ट ही है कि समानता के इस अर्थ में सभी मनुष्य एक समान या एक जैसे नहीं होते हैं। शारीरिक और मानसिक बनावट की दृष्टि से मनुष्यों के बीच काफी भिन्नता रहती है। लेकिन जब एक राजनीतिक आदर्श के रूप में ''समानता'' की बात की जाती है, तो वहाँ पर यह तात्पर्य नहीं होता है कि सभी व्यक्ति ऊपर बताए गए अर्थ में ''एक समान'' हैं। समानता को एक राजनीतिक आदर्श मानने का अर्थ होता है कि **राजनीतिक दृष्टि से हर व्यक्ति को एक बराबर महत्त्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि जन्म, सेक्स, रंग, जाति और धर्म की दृष्टि से अलग-अलग होने के बावजूद सभी मनुष्य, मनुष्य होने के नाते एक समान है।** जैसा कि उपयोगितावादी दार्शनिक बेन्थम ने कहा है, हर किसी की गिनती एक के बराबर होनी चाहिए, एक से अधिक नहीं:

"Each one to count for one and none for more than one."[1]

लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में समानता के मूल्य की अभिव्यक्ति ''एक व्यक्ति और एक वोट'' के सिद्धान्त के माध्यम से होती है। चाहे किसी का जन्म ''उच्च'' जाति में हुआ हो, या ''निम्न'' जाति में, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, हर व्यक्ति को लोकतंत्र में सिर्फ एक वोट डालने का अधिकार रहता है। इस बारे में जन्म, सेक्स, रंग, जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि लोकतंत्र में हर नागरिक को राजनीति में हिस्सा लेने या सरकार को प्रभावित करने का एक जैसा और एक बराबर अधिकार रहता है।

कानूनी समानता

राजनीतिक समानता के साथ कानूनी समानता का विचार भी जुड़ा हुआ है। कानूनी समता का अर्थ यह है कि कानून की नजरों में सभी व्यक्ति एक बराबर हैं। **एक जैसे**

1. अशोक कुमार वर्मा, *नीतिशास्त्र की रूपरेखा* (पटना: मोतीलाल बनारसीदास, 1996), पृष्ठ 179.

Scanned with CamScanner

अपराध के लिए हर व्यक्ति को एक जैसी सजा मिलनी चाहिए, यह एक लोकतांत्रिक आदर्श है। एक ही अपराध के लिए ब्रह्मण जाति में जन्मे व्यक्ति को कम और शूद्र जाति में जन्में व्यक्ति को अधिक सजा देना, जैसा कि ***मनुस्मृति*** में बतलाया गया है, कानूनी समता के लोकतांत्रिक आदर्श के विरुद्ध है।

सामाजिक समानता

सामाजिक समता का अर्थ यह हुआ कि जन्म, जाति, सेक्स, रंग, धन, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी व्यक्तियों को मनुष्य होने के नाते समाज में एक जैसा सम्मान और एक जैसी प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। जाति या वर्ण के आधार पर समाज में व्यक्ति को अलग-अलग प्रतिष्ठा प्रदान करना, ब्रह्मण वर्ण में जन्में व्यक्ति को ''श्रेष्ठ'' और शूद्र में जन्में व्यक्ति को ''हीन'' मानना, जैसा कि वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत किया जाता है, सामाजिक समता के आदर्श के विरुद्ध है। वर्ग-व्यवस्था भी सामाजिक समता के मूल्य के विरुद्ध है। इसलिए, समतावादियों तथा समाजवादियों द्वारा वर्गविहीन और जातिविहीन समाज को आदर्श माना जाता है।

उदार लोकतांत्रिक चिन्तनधारा के अन्तर्गत राजनीतिक और कानूनी समानता को मान्यता दी जाती है। फिर भी, व्यवहार में कई बार, सामाजिक और आर्थिक गैरबराबरी के कारण, राजनीतिक और कानूनी समानता के बावजूद, सामाजिक दृष्टि से प्रतिष्ठित और आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न लोग राजनीति पर अपनी संख्या बल की तुलना में अधिक हावी होने लगते हैं। इसलिए, सामाजिक लोकतंत्रवादियों द्वारा सामाजिक-आर्थिक समता पर बल दिया जाता है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के सभी नागरिकों को **प्रतिष्ठा और अवसर की समानता** उपलब्ध कराने की बात की गयी है। इसमें **समता के अधिकार** को भी मौलिक अधिकार माना गया है। समता के अधिकार के अन्तर्गत कानून के समक्ष समता का अधिकार शामिल है। राज्य द्वारा धर्म, उद्गम, जाति, सेक्स या जन्म स्थान के आधार पर एक नागरिक और दूसरे नागरिक के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान द्वारा छुआछूत को समाप्त घोषित किया गया है, और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया है। छुआछूत के आचरण को एक दण्डनीय अपराध माना गया है।

समता के अधिकार को मानव अधिकार के रूप में भी मान्यता मिली हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार, ''**नस्ल, सेक्स, भाषा और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी के लिए** मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करना'' संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्यों में एक है। मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा-पत्र के अनुसार ''**सभी** मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और गरिमा एवं अधिकारों की दृष्टि से **समान** हैं। उनमें बुद्धि एवं विवेक है और उन्हें एक-दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना से आचरण करना चाहिए।'' गुलामी की प्रथा को इसमें हर रूप में प्रतिबन्धित किया गया है।

आर्थिक समानता

जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है, समाजवादी चिन्तनधारा के अन्तर्गत आर्थिक समता को केन्द्रीय महत्त्व दिया जाता है। विशेषकर साम्यवादियों द्वारा समाज में वर्गों के अस्तित्व को सीधे-सीधे उत्पादन के साधनों (means of production) के

Scanned with CamScanner

स्वामित्व के साथ जोड़ा जाता है, और वर्गविहीन समाज की स्थापना की दृष्टि से ''सर्वहारा की तानाशाही'' द्वारा उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व को समाप्त करने की वकालत की जाती है। इस मत में कई कठिनाइयाँ भी हैं। खास कर इसका स्वतंत्रता और समता की लोकतांत्रिक अवधारणा से विरोध दिखता है। इसकी विस्तृत चर्चा साम्यवाद के अन्तर्गत की जाएगी। वैसे, सामुदायिक स्वामित्व के विचार का तानाशाही के साथ कोई अनिवार्य सम्बन्ध नहीं है। लोकतांत्रिक समाजवादियों द्वारा भी समता की दृष्टि से लोकतंत्र के दायरे में राज्य द्वारा अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप, और सम्पति के अधिकार को कुछ हद तक सीमित करने की वकालत की जाती है। इस तरह, लोकतांत्रिक समाजवादियों द्वारा स्वतंत्रता और समता के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। जो भी हो, समानता की किसी भी लोकतांत्रिक अवधारणा के अन्तर्गत यह विचार भी शामिल रहता है कि **समाज में प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताएँ पूरी होनी चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए समान अवसर मिलना चाहिए।**

भारतीय संविधान में समता के राजनीतिक और कानूनी आदर्श को तो स्वीकार किया ही गया है। इसके अलावा परम्परागत रूप से पिछड़े तथा दलित वर्गों और जातियों को आगे लाने और समाजिक समता को प्रोत्साहित करने के लिए **विशेष अवसर के सिद्धान्त** को भी मान्यता दी गयी है।

संक्षेप में, कई भिन्नताओं के बावंजूद बुनियादी मानव स्वभाव, आवश्यकताएँ और क्षमताएँ एक जैसी हैं। इसलिए, समाज में प्रत्येक व्यक्ति को एक जैसी प्रतिष्ठा, एक जैसे राजनीतिक, कानूनी अधिकार, आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक समान अवसर, और अगर आवश्यक हो तो परम्परागत रूप से पिछड़ी-दलित जातियों और वर्गों को बराबरी के स्तर पर आने के लिए विशेष अवसर मिलना चाहिए। इसके अलावा, आर्थिक गैरबराबरी को एक सीमा से अधिक बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए। यही समता का लोकतांत्रिक आदर्श हैं।

...और समानता

Scanned with CamScanner